न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–204/2020(जीसीएमएस नं. 2020/00166)

1. श्रीमती दयाकौर पत्नी श्री बल्लाराम जाति जाट निवासी जयसिंहसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री उम्मेदराज सैनी, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांकः 19.01.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2004 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना ने अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नमबर 107 गैर मुमकीन बंजड तादादी 0.08 हैक्टयर पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने व रास्ता संकडा करने का दोषी मानकर उक्त रकबे से बेदखल करने व 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का जो आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू ने अपने निर्णय में 15 दिन में कब्जा हटा लेने पर सिविल कारावास की सजा निरस्त समझे जाने का आदेश पारित किया है किन्तु अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झुनू ने प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है क्योंकि अपीलार्थी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया ही नही है गांव की राजनितिबाजी से प्रभावित होकर हल्का पटवारी ने अपीलार्थी के खिलाफ यह झूठी शिकायत की है जबकि अपीलान्ट का निर्माण अपने कब्जे काश्त की भूमि पर ही है। उन्हाने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीया एक महिला जात है जिसको पूर्व में बेदखल किये जाने का कोई प्रमाण हल्का पटवारी ने रिकार्ड पर पेश नही किया है। ऐसी कोई फर्द भी पेश नही की जिससे साबित हो सके कि अपीलान्ट को पूर्व में बेदखल किया गया था किन्तु उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2004 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2020 एवं 28.12.2004 को निरस्त फरमाया जावें।

P.T.O.

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि यह तथ्य निर्विवाद है कि भूमि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 107 सरकारी भूमि है जिसकी किस्म बंजड है तथा अपीलार्थीया ने न्यायालय हाजा अथवा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपना स्वामित्व होने का कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2004 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीया खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2004 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

19/1/23